

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 340]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई 2023 — आषाढ 29, शक 1945

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 जुलाई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-11/आठ-परि./2022.— छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

द्वितीय अनुसूची के भाग—एक के सरल क्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
“9.	मोटर कारवां	यान की कीमत का 10%”

यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 14th July 2023

NOTIFICATION

No. F 5-11/VIII-Trans./2022.— In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 23 of the said Adhiniyam, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said Adhiniyam,-

After serial number 8 of Part-I of the Second Schedule, the following serial number shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)
“9.	Motor Caravan	10% of the cost of the vehicle.”

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. PANDAY, Deputy Secretary.